



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052026-272227
CG-DL-E-04052026-272227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2085]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2085]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

का.आ. 2166(अ).— अतः - केन्द्रीय सरकार, को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य के धनाली गाँव, तहसील- जोटाना, जिला महेसाणा में एलएनसी #47 से एलएनसी #51, पाइप लाइन को जोड़ने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और उस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जो इस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, वह इस अधिसूचना के इक्कीस दिन के भीतर, सक्षम प्राधिकारी (आर. ओ. यु), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भूमि अधिग्रहण विभाग, के डी एम भवन, पालावासना, मेहसाना - 384003, गुजरात को लिखित रूप से पाइपलाइन बिछाने का विरोध व्यक्त कर सकेगा।

और ऐसा विरोध व्यक्त करने वाला हर व्यक्ति विशेष रूप से यह भी कथन करेगा की क्या वह चाहता है की उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यावसायी द्वारा ।

अनुसूची

पाइपलाइन कॉरीडोर एलएनसी #47 से एलएनसी #51 को जोड़ने के लिए

तालुका: - जोटाना

जिला:- महेसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4		
1	293		00	04	76
2	292		00	15	10
3	299		00	22	93
4	304		00	07	62
5	305		00	13	70
6	315		00	05	97
7	314		00	05	03
8	313		00	04	80
9	520		00	01	62
10	352		00	10	33
11	353		00	10	11
12	357		00	08	07
13	358		00	04	46
14	359		00	04	62
15	360		00	05	24
16	375		00	13	88
17	374		00	15	24
18	372		00	14	13
19	371		00	15	44
20	370		00	00	10
		कुल क्षेत्रफल	18315		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/27/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी (इ-52276)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2026

S.O. 2166(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a PIPELINE CORRIDOR FOR LNC#47 TO LNC#51 Village Dhanali, Taluka - Jotana, District - Mehsana, Gujarat state, pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such a pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land described in the Schedule annexed hereto: -

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority (ROU), Oil and Natural Gas Corporation Limited, Land Acquisition Department, KDM Bhavan, Palavasana, MEHSANA-384003, GUJARAT.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he/she wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE**PIPELINE CORRIDOR FOR LNC#47 TO LNC#51****TALUKA: - JOTANA****DISTRICT:- MEHSANA****STATE:- GUJARAT**

Name of village	Survey No./Block No.	Part if any	Area		
			Hq.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4		
1	293		00	04	76
2	292		00	15	10
3	299		00	22	93
4	304		00	07	62
5	305		00	13	70
6	315		00	05	97
7	314		00	05	03
8	313		00	04	80
9	520		00	01	62
10	352		00	10	33
11	353		00	10	11
12	357		00	08	07
13	358		00	04	46
14	359		00	04	62
15	360		00	05	24
16	375		00	13	88
17	374		00	15	24
18	372		00	14	13
19	371		00	15	44
20	370		00	00	10
		Total Area	18315		

[F. No. Expl-13011(26)/27/2025-EXPL-PNG (E-52276)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.